

दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।  
दशम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र सं०: ५१५४/दि०ज०स०/म०उ०/२०२२-२३

लखनऊ: दिनांक २५ नवम्बर, २०२२

आदेश

निदेशालय आदेश संख्या: सी-४७७७ दिनांक: १६ दिसम्बर, २०१९ द्वारा निदेशालय स्तर पर गठित आन्तरिक शिकायत समिति को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम २०१३ के अध्याय-२ की धारा-४(३) में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी ०३ वर्ष अथवा जनपद लखनऊ से बाहर कार्यमुक्त होने की तिथि (जो पहले हो) तक एतद्वारा निम्नानुसार आन्तरिक शिकायत समिति गठित की जाती है:-

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| १- | श्रीमती मोनिका लाल,<br>उपनिदेशक,<br>लखनऊ मण्डल, लखनऊ।   | - अध्यक्ष |
| २- | श्री दिवाकर प्रकाश वर्मा,<br>प्रशासनिक अधिकारी,<br>निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०।  | - सदस्य   |
| ३- | श्रीमती अति अग्रवाल,<br>वैयक्तिक सहायक ग्रेड-१,<br>निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०  | - सदस्य   |
| ४- | सिस्टर सार्ज़नी,<br>प्रधानाचार्य,<br>सेन्ट फ्रांसिस स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड,<br>मिश्रीबाग, जल निगम रोड, बालागंज, लखनऊ।<br>(गैर सरकारी संस्था) | - सदस्य   |
| ५- | श्रीमती रीता चौधरी,<br>वरिष्ठ सहायक,<br>निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ०प्र०।   | - सदस्य   |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

*S. Kato*  
24/11/2022  
(सत्य प्रकाश पटेल)  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या उपर्युक्तानुसार तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव, महिला कल्याण, उ०प्र० शासन।
२. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
३. संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-१, उ०प्र० शासन।
४. समिति के समस्त पदाधिकारीगण।
५. निदेशालय आदेश संख्या: सी-४७७७ दिनांक: १६ दिसम्बर, २०१९ द्वारा गठित आन्तरिक शिकायत समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
६. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय।

*R.*  
24/11/2022  
(रणजीत सिंह)  
संयुक्त निदेशक  
कृते निदेशक।  
*ol: M*